पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 50/2019

वादीः—

1. गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री हरीसिंहजी, जाति राजपुरोहित, निवासी निम्बाड़ा हाल 602 रचना हाइट्स, सी—विंग, पुराने पोस्ट ऑफिस के पास, पनवेल, मुम्बई (महाराष्ट्र)

बनाम प्रतिवादीगणः—

1. हरीसिंह पुत्र श्री ओंकारसिंहजी, जाति राजपुरोहित, निवासी निम्बाड़ा, हाल पाली, ठिकाना 5—ई—33, न्यू हाऊसिंग बोर्ड, पाली (राज.)

2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय,पाली

उपस्थितिः—

1. श्री सुमेरसिह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक वादी
2. श्री नरपतसिंह राजपुरोहित,विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1
3. श्री केशरसिंह, तहसीलदार, पाली (सरकारी पैरोकार)

राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—:आदेशः— दिनांक 16/12/2019

1. वादी ने यह वाद प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ने पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 16.09.2013 को ग्राम आकेली के खसरा नम्बर 163/1 रकबा 20 बीघा 5 बिस्वा कृषि भूमि विक्रेता तेजसिंह से खरीद की थी। चूँकि वादी मुम्बई में ही निवासी करता है और मुम्बई में वादी का नाम गजेन्द्रसिंह हरीसिंह राजपुरोहित के रूप मे ही रेकर्ड में इन्द्राज है, इस कारण से वादी द्वारा उपरोक्त भूमि खरीद करते वक्त क्रेता के रूप मे गजेन्द्रसिंह हरीसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री हरीसिंह ओंमकारसिंह राजपुरोहित विक्रय पत्र में दर्ज किया गया था। महाराष्ट्र में व्यक्ति के नाम के साथ ही पिता का नाम लगाया जाता है, इसी अनुरूप विक्रय पत्र में वादी के नाम के साथ ही पिता का नाम दर्ज किया गया था। वास्तव में उपरोक्त भूमि वादी स्वयं ने स्वयं के लिए खरीद की थी और उपरोक्त विक्रय पत्र में पिता हरीसिंहजी द्वारा साख के रूप में हस्ताक्षर किये है। उपरोक्त भूमि इस वाद की विषय वस्तु है, जिसे आगे वाद में "वादग्रस्त भूमि" के नाम से संबोधित की जाएगी।

विक्रय पत्र के आधार पर वादी के नाम म्यूटेशन संख्या 577 दर्ज किया गया, उसमें भी क्रेता के रूप में वादी एव प्रतिवादी संख्या एक दोनों को ही खातेदार के रूप में दर्ज कर दिया, जो विधिनुसार नहीं है, क्योंकि क्रेता केवलमात्र वादी है, प्रतिवादी संख्या एक क्रेता नहीं होकर सरनेम के रूप में विक्रय पत्र में नाम दर्ज है। विधि अनुसार वादग्रस्त भूमि का वादी ही अकेला खातेदार है, इसलिए वादग्रस्त भूमि का वादी को खातेदार घोषित करने हेतु उपरोक्त वाद पेश किया जा रहा है। प्रतिवादी संख्य एक भी वादी के साथ क्रेता होते तो

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

विक्रय पत्र में क्रेता और विक्रेता के साक्षी के रूप में साख नहीं डालते। वास्तव में वादग्रस्त भूमि वादी ने ही खरीद की है। वादी का मुम्बई में बैंक एकाउन्ट इत्यादि दस्तावेज में भी गजेन्द्र हरीसिंह राजपुरोहित ही नाम दर्ज है। राजस्व रेकर्ड में किय गये अशुद्ध इन्द्राज को शुद्ध किये जाने एवं वादी को खातेदार घोषित करने हेतु उपरोक्त वाद पेश किया जा रहा है।

वादी वादग्रस्त भूमि पर एकमात्र रूप से बतौर खातेदार काबिज काश्त है, विधिनुसार वादी वादग्रस्त भूमि का उपयोग, उपभोग करने का अधिकारी है, जिसमें प्रतिवादी को दखल करने का अधिकार नहीं है, इसलिए स्थायी निषेधाज्ञा का वाद भी पेश किया जा रहा है। राजस्व रेकर्ड में वादग्रस्त भूमि के संबंध मे किये गये अशुद्ध इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी संख्या एक अन्य उत्तराधिकारी भी भविष्य में हक अधिकार जता सकते है, इस कारण से तुरन्त प्रभाव से उपरोक्त वाद पेश किया जाना आवश्यक है। चूँकि वाद खातेदारी घोषणा के साथ स्थायी निषेधाज्ञा का भी पेश किया जा रहा है, इसलिए आवश्यक प्रकृति का होने से बिना धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिये ही उक्त वाद पेश किया जा रहा है।

वादकारण बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण हाल ही में दो–तीन माह पूर्व वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी और म्यूटेशन की प्रतियाँ के.सी.सी. ऋण के लिए संबंधित पटवारी एवं तहसील कार्यालय से प्राप्त की, तब उपरोक्त अशुद्ध इन्द्राज की जानकारी हुई, जिस पर वादी ने प्रतिवादी संख्या एक से अशुद्ध इन्द्राज को शुद्ध करवाये जाने हेतु निवेदन किया, लेकिन प्रतिवादी संख्या एक द्वारा सहमति नहीं दिये जाने एवं इस संबंध में वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या दो को आवेदन पेश किये जाने पर उनके द्वारा बताया गया कि इस संबंध मे सक्षम न्यायालय में वाद दायर करके ही अनुतोष प्राप्त करें, इस कारण से उपरोक्त वाद पेश किये जाने वादकारण बहक वादी उत्पन्न हुआ है।

ग्राम आकेली के खसरा नम्बर 163/1 रकबा 20 बीघा 5 बिस्वा किस्म कछार दोयम कृषि भूमि का एकमात्र वादी को खातेदार घोषित किया जावें, तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में गजेन्द्रसिंह हरीसिंह के स्थान पर केवलमात्र गजेन्द्रसिंह पुत्र हरीसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी निम्बाडा, तहसील रानी का इन्द्राज किया जावे जावें। शेष इन्द्राज हटाये जावें। वादग्रस्त भूमि में वादी के कब्जे, काश्त, उपयोग, उपभोग, में प्रतिवादी दखल नहीं करें, न ही अन्य से करावें। अन्य अनुतोष बहक वादी को प्रतिवादीगण से दिलावें।

2. वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया।

3. प्रतिवादी संख्या 01 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि वादी ने ही स्वअर्जित आय से स्वयं वादी के लिए खरीद की थी, चूंकि वादी मुम्बई में पहचान दस्तावेज मे नाम गजेन्द्र हरीसिंह राजपुरोहित के रूप में दर्ज है, इसी कारण विक्रय पत्र मे उपरोक्त नाम क्रेता के रूप मे दर्ज किया गया था। मुझ प्रतिवादी ने उपरोक्त विक्रय पत्र में क्रेता और विक्रेता की ओर से साक्षी के रूप मे साख डाली है। अतः जवाबदावा पेश कर

सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

निवेदन है कि वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रदान किये जाने मे उत्तरदाता प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है।

4. सरकारी पैरोकार प्रतिवादी संख्या 02 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आकेली के राजस्व रिकार्ड अनुसार वर्तमान में गजेन्द्रसिंह हरीसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपुरोहित साकिन निम्बाड़ा तहसील रानी खातेदार के नाम खसरा नम्बर 163/1 रकबा 20. 05 बिघा किस्म कछार दोयम लगान 50.63 रूपयें दर्ज है। जरिये रिजस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 16–09–2013 को पु.सं. 1 जिल्द संख्या 185 में पृष्ठ संख्या 150 क्रम सख्या 20113019746 पर पंजीबद्ध होने से पटवारी हल्का द्वारा नामा. संख्या 577 दिनांक 20–02–14 के द्वारा रजिस्ट्री अनुसार दर्ज किया गया है वादी द्वारा पेश दस्तावेज अनुसार एस बी आई शाखा पनवेल 278/1 साफिया टेराका महात्मा के अनुसार गजेन्द्रसिंह पुत्र हरिसिंह का नाम गजेन्द्रसिंह हरिसिंह पुत्र हरीसिंह दर्ज है। मुम्बई महाराष्ट पैटर्न अनुसार नाम के साथ उनके पिता का नाम भी दर्ज होता है इसं कारण प्रार्थी द्वारा रजिस्ट्री वक्त पेश दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम गजेन्द्रसिंह हरिसिंह पुत्र श्री हरिसिंह ओकारसिंह दर्ज होने से रजिस्ट्री भी इसी नाम से हुई है। रजिस्ट्री अनुसार वादी का नामान्तरकरण दर्ज हुआ जो वर्तमान में भी इसी अनुसार है। रजिस्ट्री में खरीददार वादी गजेन्द्रसिंह पुत्र हरिसिंह राजपुरोहित अकेला आदमी है। राजस्व रेकर्ड में गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री हरिसिंह जाति राजपुरोहित साकिन निम्बाड़ा किया जाने हेतु वाद का जवाब पेश किया।

5. वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अभिभाषक वादी ने निवेदन किया कि यह वाद प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ने पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 16.09.2013 को ग्राम आकेली के खसरा नम्बर 163/1 रकबा 20 बीघा 5 बिस्वा कृषि भूमि विक्रेता तेजसिंह से खरीद की थी। चूँकि वादी मुम्बई में ही निवासी करता है और मुम्बई में वादी का नाम गजेन्द्रसिंह हरीसिंह राजपुरोहित के रूप मे ही रेकर्ड में इन्द्राज है, इस कारण से वादी द्वारा उपरोक्त भूमि खरीद करते वक्त क्रेता के रूप मे गजेन्द्रसिंह हरीसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री हरीसिंह ओंमकारसिंह राजपुरोहित विक्रय पत्र में दर्ज किया गया था। महाराष्ट्र में व्यक्ति के नाम के साथ ही पिता का नाम लगाया जाता है, इसी अनुरूप विक्रय पत्र में वादी के नाम के साथ ही पिता का नाम दर्ज किया गया था। वास्तव में उपरोक्त भूमि वादी स्वयं ने स्वयं के लिए खरीद की थी और उपरोक्त विक्रय पत्र में पिता हरीसिंहजी द्वारा साख के रूप में हस्ताक्षर किये है। विक्रय पत्र के आधार पर वादी के नाम म्यूटेशन संख्या 577 दर्ज किया गया, उसमें भी क्रेता के रूप में वादी एव प्रतिवादी संख्या एक दोनों को ही खातेदार के रूप में दर्ज कर दिया, जो विधिनुसार नहीं है, क्योंकि क्रेता केवलमात्र वादी है, प्रतिवादी संख्या एक क्रेता नहीं होकर सरनेम के रूप में विक्रय पत्र में नाम दर्ज है। विधि अनुसार वादग्रस्त भूमि का वादी ही अकेला खातेदार है, इसलिए वादग्रस्त भूमि का वादी को खातेदार घोषित करने

सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

हेतु उपरोक्त वाद पेश किया जा रहा है। वादी का मुम्बई में बैंक एकाउन्ट इत्यादि दस्तावेज में भी गजेन्द्र हरीसिंह राजपुरोहित ही नाम दर्ज है। राजस्व रेकर्ड में किय गये अशुद्ध इन्द्राज को शुद्ध किये जाने एवं वादी को खातेदार घोषित करने हेतु उपरोक्त वाद पेश किया है।

7. विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 01 ने निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि वादी ने ही स्वअर्जित आय से स्वयं वादी के लिए खरीद की थी, चूंकि वादी मुम्बई में पहचान दस्तावेज मे नाम गजेन्द्र हरीसिंह राजपुरोहित के रूप में दर्ज हैं, इसी कारण विक्रय पत्र मे उपरोक्त नाम क्रेता के रूप मे दर्ज किया गया था। मुझ प्रतिवादी ने उपरोक्त विक्रय पत्र में क्रेता और विक्रेता की ओर से साक्षी के रूप मे साख डाली है। वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रदान किये जाने मे उत्तरदाता प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है।

8. सरकारी पैरोकार ने निवेदन किया कि मुम्बई महाराष्ट पैटर्न अनुसार नाम के साथ उनके पिता का नाम भी दर्ज होता है इस कारण प्रार्थी द्वारा रजिस्ट्री वक्त पेश दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम गजेन्द्रसिंह हरिसिंह पुत्र श्री हरिसिंह ओकारसिंह दर्ज होने से रजिस्ट्री भी इसी नाम से हुई है। रजिस्ट्री अनुसार वादी का नामान्तरकरण दर्ज हुआ जो वर्तमान में भी इसी अनुसार है। रजिस्ट्री में खरीददार वादी गजेन्द्रसिंह पुत्र हरिसिंह राजपुरोहित अकेला आदमी है। राजस्व रेकर्ड में गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री हरिसिंह जाति राजपुरोहित साकिन निम्बाड़ा किया जावे तो काई आपत्ति नहीं है।

9. बहस उभय पक्ष को सुननने तथा पत्रावली पर उलब्ध अभिलेख का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। सरहद मौजा ग्राम आकेली के खसरा नम्बर 163/1 रकबा 20 बीघा 5 बिस्वा कृषि भूमि विक्रेता तेजसिंह से खरीद की थी। मुम्बई में वादी का नाम गजेन्द्रसिंह हरीसिंह राजपुरोहित के रूप मे ही रेकर्ड में इन्द्राज है, इस कारण से वादी द्वारा उपरोक्त भूमि खरीद करते वक्त क्रेता के रूप मे गजेन्द्रसिंह हरीसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री हरीसिंह ओंमकारसिंह राजपुरोहित विक्रय पत्र में दर्ज किया गया है। वकील प्रतिवादी संख्या 1 ने भी बहस के दौरान निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि वादी ने ही स्वअर्जित आय से स्वयं वादी के लिए खरीद की थी तथा वादी मुम्बई में पहचान दस्तावेज मे नाम गजेन्द्र हरीसिंह राजपुरोहित के रूप में दर्ज है, इसी कारण विक्रय पत्र मे उपरोक्त नाम क्रेता के रूप मे दर्ज किया गया था। मुझ प्रतिवादी ने उपरोक्त विक्रय पत्र में क्रेता और विक्रेता की ओर से साक्षी के रूप मे साख डाली है। सरकारी पैराकार ने भी बहस के द्वौरान बताया कि मुम्बई महाराष्ट पैटर्न अनुसार नाम के साथ उनके पिता का नाम भी दर्ज होता है इस कारण प्रार्थी द्वारा रजिस्ट्री वक्त पेश दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम गजेन्द्रसिंह हरिसिंह पुत्र श्री हरिसिंह ओकारसिंह दर्ज होने से रजिस्ट्री भी इसी नाम से हुई है। रजिस्ट्री अनुसार वादी का नामान्तरकरण दर्ज हुआ जो वर्तमान में भी इसी अनुसार है। रजिस्ट्री में खरीददार वादी गजेन्द्रसिंह पुत्र हरिसिंह राजपुरोहित अकेला आदमी है।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी द्वारा स्वअर्जीत आय से कृषि भुमि की खरीद की है अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री इस आशय की सादिर की जाती है कि वादी ग्राम सरहद मौजा आकेली के खसरा नम्बर 163/1 रकबा 20 बीघा 5 बिस्वा कृषि भूमि का वादी गजेन्द्रसिंह पुत्र हरीसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी निम्बाड़ा, तहसील रानी को खातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार पाली को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रेकर्ड मे वादी को बतौर खातेदार दर्ज कर पालना प्रतिवेदन 15 दिवस की अवधि मे प्रस्तुत करे। डिक्री परचा मुर्तिब हो। इस निर्णय डिक्री परचा की प्रति तहरीर के साथ तहसीलदार, पाली को प्रेषित की जावें। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

सहायक कलेक्टर
पाली

यह आदेश आज दिनांक 18.12.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

डिकी बमुकद्दमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' -1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उप जिला कलेक्टर, पाली
इजलास– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर, (आई.ए.एस.)

मुकद्दमा संख्या 50 सन् 2019
अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वादीः– **बनाम प्रतिवादीगणः–**

1. गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री हरीसिंहजी, जाति राजपुरोहित, निवासी निम्बाड़ा हाल 602 रचना हाइट्स, सी–विंग, पुराने पोस्ट ऑफिस के पास, पनवेल, मुम्बई (महाराष्ट्र)

1. हरीसिंह पुत्र श्री ओंकारसिंहजी, जाति राजपुरोहित, निवासी निम्बाड़ा, हाल पाली, ठिकाना 5–ई–33, न्यू हाऊसिंग बोर्ड, पाली (राज.)

2: राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय,पाली

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक वादी बहाजरी मिनजानिब मुद्दई व केशर सिंह तहसीलदार, पाली एवं नरपतसिंह राजपुरोहित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद अंतर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार किया जाकर डिकी इस आशय की सादिर की जाती है कि वादी सरहद मौजा ग्राम आकेली के खसरा नम्बर 163/1 रकबा 20 बीघा 5 बिस्वा कृषि भूमि का वादी गंजेन्द्रसिंह पुत्र हरीसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी निम्बाड़ा, तहसील रानी को खातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार पाली निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रेकर्ड मे वादी को बतौर खातेदार दर्ज कर पालना प्रतिवेदन 15 दिवस की अवधि मे प्रस्तुत करें।

नीज.....शून्य..... मुबलिग .....शून्य.... बाबत.....शून्य.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....शून्य.....फीसदी आज की तारीख से वसूलयानी तक .....शून्य..... को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18 माह 12 सन् 2019 को जारी की गई।

दस्तखत.....
ओहदा.....सहायक कलेक्टर पाली

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीनामा	–	–	स्टाम्प वकालतनामा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा	–	–	स्टाम्प हाजरी	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर	–	–
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर	–	–
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफरिक	–	–
मुतफरिक	–	–	–	–	–
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर जो फरीकेन का, चाहे डिकी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2019.12.19 16:28:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: